तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/2019	~~पत्रावली पेश हुई। [illegible] P.O. [illegible] पर होने से पत्रावली 14/1/2020 को पेश हो वास्ते [illegible]~~ [signature]	
14/1/2020 [signature] 14/01/20 (R. Choudhary)	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। मामले में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो. नं. 1 लाखाराम ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 के अधीन न्यायालय में पेश कर बताया कि ग्राम हिंगोली के ख.नं. 33 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा पहले तेजाराम पुत्र गुलाबराम, पाबूराम, लाखाराम, हरलाल पि. तेजाराम के खातेदारी में थी। जिसमें तेजाराम का 1/4 हिस्सा था। तेजाराम ने अपना उक्त हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 जेताराम को बेचान कर दिया एवं हरलाल ने अपना 1/4 हिस्सा वादी के पक्ष में बेचान कर दिया। इस प्रकार ख.नं. 33 में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/4 हिस्सा है जिसका बंटवारा किया हुआ नहीं है जो वाद डिक्री बंटवारा किया जावे। दावे में प्रतिवादीगण को तलब कर जवाब चाहा। उन्होंने रेस्प. जवाब मय काउंटरक्लेम पेश किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड पर लेने से इंकार कर दिया जिसके विरुद्ध एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में पेश हुई जहां से वह स्वीकार होकर जवाब व काउंटरक्लेम को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश पारित किया गया। तब जवाब रिकॉर्ड पर लेकर पत्रावली तनकी कायमी में रखी गई परन्तु बाद में बिना पक्षकारों को सूचित किये केस कोर्ट ने मनमाने ढंग से वाद तनकीयात का	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

..................................बनाम..................................

किस्म मुकदमा RTA /LR न. सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान वकील अपीलांट ने बहस करते अपील के तथ्यों को दोहराया और बताया कि माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के अनुसरण में जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम रिकॉर्ड पर आने के पश्चात् वादी का जवाबुलजवाब आना चाहिए था और तत्पश्चात् मामले में तनकीह कायम होकर बाद साक्ष्य सबूत दावे में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद विचारण की विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। न तनकीह कायम की गई है न साक्ष्य-सबूत लिये हैं और न ही अभिलेख प्रदर्शित हुए हैं। बिना साक्ष्य दावा डिक्री करना कानूनी रूप से घोर उपेक्षा करना आता है। ऐसी प्रारम्भिक डिक्री में डिक्री को कायम नहीं रखा जा सकता। प्रारम्भिक डिक्री में अपीलांटगण के काउंटर क्लेम के संबंध में भी कोई विचार नहीं किया न ही इसे रिकॉर्ड पर लेने बाबत कथन है। राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी संवत 2060-63 में खातेदारों के हिस्सों का खुलासा नहीं है जो साक्ष्य सबूत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को करना चाहिए था जो नहीं किया है। ऐसी प्रारम्भिक डिक्री खारिज योग्य होने से खारिज कर मामले को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट का बहस के दौरान कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये। लेकिन अवधि तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। दिनांक 30/3/15 को प्रति सं. 1 व 2 की ओर से वकील उपस्थित हुए। बाद में भी वास्ते सम्मन इंतजार में पत्रावली रखी अंततः दि. 18-1-2016 को जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से उपेक्षा बरती गई लिहाजा मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी सं. 3 हरलाल पक्षकार भी नहीं था इसलिए वह अपील लाने का अधिकारी नहीं है इसलिए अपील चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है। अपील खारिज फरमाई जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर P.T.O	

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 29-1-18 की आदेशिका के अनुसार मा० राजस्व मण्डल ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि. 22/2/17 को निरस्त कर दिया तथा आदेशिका दि. 22/2/18 के अनुसार प्रतिवादीगण का जवाब 1000/- रु. की कोस्ट पर स्वीकार कर लिया गया तथा काउन्टर क्लेम के जवाब में दि. 6/4/2018 को मुकर्रर की। तत्पश्चात दि. 30/5/18 को बिना कोई जवाबुल जवाब लिये कैम्प कोर्ट में पत्रावली पेश होकर वादी का वाद स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकली कागजी, साक्ष्य वादी और अभिलेख पेश बाबत कोई कार्यवाही हुई हो ऐसी कोई आदेशिका नहीं है। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए अपरिपक्व पत्रावली पर निर्णय/डिक्री किया जाना कानून सम्मत नहीं होने से इसे यथावत नहीं रखा जा सकता। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं काउंटर क्लेम में अपीलांट हरलाल भी शामिल है लिहाजा वह भी एक आवश्यक पक्षकार है और इसके काउंटर क्लेम पर बिना विचार किये, निर्णय पारित करने से उसके भी अधिकारों का हनन होता है लिहाजा वह भी अपील करने का हकदार ठहरता है। अपील ग्रहण योग्य होने से स्वीकार किये जाने लायक है, और अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय/डिक्री दि. 30.5.2018 अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश/निर्णय (प्रारम्भिक डिक्री) दि. 30.5.2018, ACM भोपालगढ़ के वाद सं. 110/2014 में पारित है को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब मय काउंटर क्लेम के संबंध में वादीगण से जवाबुल जवाब लेकर बाद तनकीहात कायमी उभय पक्ष की साक्ष्य/प्रलेख लेकर बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर निर्णय/डिक्री पारित करें।

निर्णय आज इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर रेकर्ड में जमा हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(हस्ताक्षर)
राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर